भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6013

जिसका उत्तर 01 अप्रैल, 2026 को दिया जाना है।

11 चैत्र, 1948 (शक)

संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत संयुक्त वक्तव्य

6013. श्री राहुल गांधीः

क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत संयुक्त वक्तव्य के अंतर्गत "डिजिटल व्यापार में बाधाओं को कम करने" की अपनी प्रतिबद्धता का भारत के डेटा स्थानीयकरण नियमों, सीमा पार डेटा विनियमों और व्यापक डिजिटल रूपरेखा के साथ सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करती है;
(ख) क्या विनियामक स्वायत्तता की संरक्षा के लिए कोई नीतिगत परिवर्तन किए जाने हैं;
(ग) यदि हां, तो क्या ये प्रतिबद्धताएं महत्वपूर्ण डेटा के स्थानीय भंडारण को अनिवार्य करने, संवेदनशील डिजिटल अवसंरचना तक विदेशी पहुंच को सीमित करने या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विनियमित करने की भारत की क्षमता को वर्तमान या भविष्य में प्रतिबंधित कर सकती हैं;
(घ) यदि हां, तो वित्तीय प्रणालियों, डिजिटल पहचान, स्वास्थ्य और कल्याण डेटाबेस, दूरसंचार नेटवर्क और एआई डेटासेट जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के प्रभावित होने का ब्यौरा क्या है और इन पर कितना प्रभाव है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और
(ङ) यह सुनिश्चित करने वाले संरक्षात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है कि ये प्रतिबद्धताएं, विशेषकर डेटा स्थानीयकरण, बाजार अभिगम की शर्तों, सीमा पार प्रतिबंधों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में स्वदेशी एआई विकास, घरेलू मूल्यवर्धन और रणनीतिक डिजिटल स्वायत्तता के लिए घरेलू डेटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता को क्षीण न करें?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ) वित्त वर्ष 2024-25 में 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के राजस्व और 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ भारत में एक जीवंत आईटी इकोसिस्टम है। यह 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इसलिए, डिजिटल व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है।

<u>भारत के मुक्त व्यापार समझौते:</u>

भारत सरकार दुनिया भर के संभावित देशों के साथ डिजिटल व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और उसका विस्तार करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के साथ तीन मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रमुख घटक के रूप में एक डिजिटल व्यापार अध्याय शामिल है।

इन समझौतों में, भारत ने बाजार पहुंच सुनिश्चित करते हुए अपने हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा की है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता:

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए), जिस पर वर्तमान में बातचीत चल रही है, एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और गतिशील डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे डिजिटल व्यापार के क्षेत्र में गहन सहयोग संभव हो सके।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा स्थापित की है जो एक खुले और न्यायसंगत डिजिटल व्यापार वातावरण को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह अंतरिम तंत्र भारत-अमेरिका बीटीए के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पारस्परिक और परस्पर लाभकारी डिजिटल व्यापार दिशानिर्देशों को प्राप्त करने की दिशा में एक मार्ग प्रशस्त करता है।

भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाते हुए डेटा गवर्नेंस में अपनी नियामक स्वायत्तता को संरक्षित किया है।

किसी भी तरह से, ऐसे समझौते स्थापित कानूनी तंत्र के भीतर भारत के अपने डेटा के प्रबंधन के लिए उपाय करने की भारत की क्षमता को प्रतिबंधित नहीं करते हैं।

भारत का सुदृढ़ कानूनी तंत्र:

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 एक सुदृढ़ डेटा गोपनीयता तंत्र स्थापित करता है। यह व्यक्तिगत डेटा के वैध प्रसंस्करण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डेटा फ़िड्यूशीयरीज पर संबंधित दायित्व रखता है। यह अधिनियम नागरिकों को डेटा फ़िड्यूशियरीज के खिलाफ लागू करने योग्य अधिकार देकर सशक्त बनाता है।

भारत सरकार ने सीमा पार हस्तांतरण सहित व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करने हेतु डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम 2025 को अधिसूचित किया।

यह तंत्र केंद्र सरकार को अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करने में सक्षम बनाता है, जिसमें सीमित परिस्थितियों में, जहां आवश्यक हो, व्यक्तिगत डेटा की कुछ श्रेणियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध शामिल हैं।

इसी तरह, क्षेत्र के नियामकों को क्षेत्र की गंभीरता पर विचार करते हुए जनादेश निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का आदेश है कि सभी भुगतान प्रणाली डेटा को विशेष रूप से भारत के भीतर स्थित सिस्टम पर स्टोर किया जाना चाहिए।

सरकार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है, साथ ही यह सुनिश्चित कर रही है कि घरेलू नियामक स्वायत्तता संरक्षित और सुदृढ़ बनी रहे।
